

वन विभाग हरियाणा सरकार

कार्यालय :-वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर वन मण्डल, पिंजौर
वन परिसर पिंजौर, दूरभाष / फ़ैक्स नं० 01733-230537

e-mail-dfomorni@gmail.com

क्रमांक:- 2764

दिनांक:- 06-12-2022

सेवा में:-

मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,
अम्बाला।

विषय:-

Diversion of 0.0838 Ha of Our Private land enclosed in Section 4&5 for the Construction of Non-Commercial (40 Feet X 50 Feet) Size Room set (for Personal Use) in Village - Bass Bhudi, Bhoj - Dharti, Tehsil - Morni, Distt. - Panchkula (HR) (FP/HR/Others/145730/2021)

संदर्भ:-

आप का पत्र क्र० 4886 दिनांक 10.11.2022


P-157

उपरोक्त संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना निम्न प्रकार से है:-

- माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.09.2009 (विजय बंसल बनाम हरियाणा सरकार) के अनुसार PLPA 1900 के Specific Section 4 & 5 की भूमि पर वन अधिनियम लागू होंगे तथा उक्त भूमि के प्रयोग के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति ली जानी अनिवार्य है। जिसके अनुसार इस कार्यालय द्वारा उक्त केस को आगामी कार्यवाही हेतु आपको भेजा गया था।
- उक्त बिन्दू के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना स्पष्ट नहीं है। आपसे अनुरोध है कि उक्त सम्बन्ध में स्पष्ट तौर पर निर्देशित करने का कष्ट करें कि क्या सूचना उपलब्ध करवाई जानी है।

Mail Don
07/12/2022

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी वन मण्डल,
पिंजौर।


06/12/22